

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 94/2021

दायर दिनांक 18.06.2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद जमील पुत्र मोहम्मद असलम उम्र 33 वर्ष जाति देशवाली निवासी रामसाबास, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. पदमसिंह पुत्र जसवंतसिंह 2. बल्लू कंवर पत्नि पदमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 3. मुमताज खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी कायम नगर डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री शरीफ खां वकील वादी।
2. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ वकील प्रतिवादी सं0 2।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 09.08.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाके सरहद बालिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम से संयुक्त खातेदारी की अवस्थित है।

यह है कि वाके सरहद बालिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 भाग व हक हिस्सा तथा प्रतिवादीनी संख्या 02 का 1/4 हक हिस्सा व अधिकार तथा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार दर्ज है।

यह है कि वाके सरहद बालिया में स्थित खेत खसरा सं0 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के मध्य विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है। जिसके कारण इके मध्य में विवाद बना रहता है तथा आज ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने उक्त खेत खसरा की भूमि का बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी को बैजा नुकसान पहुंचाने की गरज से मौके पर वादी की पोल व दो दुकानों में से एक दुकान तोड़ते हुए और दुकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को इस बाबत औलमा दिया जो उन्होंने मौके पर निर्माण कार्य रोक देने से मना कर दिया व उक्त भूमि को अन्य को बैचाण कर देने की भी वादी को धमकी दी है। इसलिए वादी की और से विरुद्ध प्रतिवादीगण यह वाद-पत्र वास्ते घोषणा खातेदारी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने रकड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा लाजमी होने से वाद प्रस्तुत है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



प्रार्थना वादी इस प्रकार है -

यह है कि मौजा वाके सरहद बालिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 03 के हक हिस्से व अधिकार की 1/2 भाग भूमि में से 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 03 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम की खातेदारी की घोषणा फरमायी जाकर विधिवत बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के तहत बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।

यह है कि उक्त राजीनामा नजरी नक्शे अनुसार ख0सं0 65 रकबा 0.22 हैक्ट., ख0सं0 65/606 रकबा 0.23 हैक्ट., ख0सं0 65/609 रकबा 0.22 हैक्ट. तथा ख0सं0 65/610 रकबा 0.16 हैक्ट., ख0सं0 66 रकबा 0.0600 हैक्ट. ग्राम ठाकरियास में सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति व स्वेच्छा से उक्त राजीनामा किया है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर सरहद बालिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि के वाद में पेश राजीनामा अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीषा)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 09.08..2021 को सरे इजलास में सुनाया

गया।

(कार्तिकेय मीषा)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय भीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 94/2021	दायर दिनांक 18.06.2021
वादी	प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद जमील पुत्र मोहम्मद असलम उम्र 33 वर्ष जाति देशवाली निवासी रामसाबास, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. पदमसिंह पुत्र जसवंतसिंह 2. बल्लू कंवर पत्नि पदमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 3. मुमताज खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी कायम नगर डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 4. तहसीलदार डीडवाना।
बनाम	

दावा बाबत
घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ती एवं रेकर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनांक 09.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री शरीफ खां वकील वादी व श्री इन्द्रसिंह राठौड़ वकील प्रतिवादी सं0 2 की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर सरहद बालिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि के वाद में पेश राजीनामा अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)